1-5-16 अनु.नाम 34.1 वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है
प्रश्न. के निर्णय अलग से लिखाया जाकर अ.प्रश्न. किया
प्रश्न. नम्बर से कम होकर वाद खारिज घोषित
की जाती है